भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4609
सोमवार, 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

4609. श्री प्रतापराव जाधवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने का है ताकि चालू वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में महानगरों में ग्रामीण लोगों का पलायन रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जो ग्रामीण युवाओं सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। यह एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 2019-20 (05.02.2020 को) के दौरान जारी की गई निधियां 6205798.55 लाख रुपए है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्र में ग्राम स्तर पर उद्यमों को स्थापित करने के लिए ग्रामीण निर्धनों की सहायता करने के लिए 2017-18 से स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत 2019-20 के दौरान (जनवरी, 2020 तक) जारी निधियां 2404.79 लाख रुपए है।

मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण निर्धन युवाओं के लिए कौशल विकास पर दो योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं: -

(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), जो कि मजदूरी रोजगार के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है।

(ii) ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास एक प्रशिक्षु को बैंक से ऋण लेने और अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम आरंभ करने में समर्थ बनाता है। ऐसे प्रशिक्षुओं में से कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतनभोगी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के तहत 2019-20 के दौरान (15.01.2020 तक) जारी निधि क्रमशः 138904.645 लाख एवं 651.87 लाख रुपए है।

*****